राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1423/2016/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत आई, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स श्री गुरू एन्टरप्राईजेज,
ए–19, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से
श्री जी.एन.शर्मा,
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 22/09/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 273/अपील्स–I/आरवीएट/जयपुर/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 17.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत आई, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.2015 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 25, 55, 61 व 75(8) के तहत् आरोपित कुल मांग राशि रूपये 8,14,174/– को अपास्त कर दिया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 22.11.2014 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–षष्ठम, वृत आई, जयपुर (जिसे आगे **"जांच अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण उपलब्ध स्टॉक की भौतिक गणना कर कुछ दस्तावेज अभिग्रहित कर पत्रावली सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। सशक्त अधिकारी द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर भौतिक सत्यापन के आधार पर लेखा पुस्तकों की ऑडिट के उपरान्त असत्यापित विक्रय के संबंध में प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया, एवं आगामी तारीख पेशी पर उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से सशक्त अधिकारी ने आदेश दिनांक 25.05.2015 पारित कर मांग राशि रूपये 8,14,174/– का आरोपण कर दिया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में यह कहा है कि उक्त प्रकरण समयावधि से संबंधित था, एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बार–बार स्थगन की मांग की गई, एवं नियत तारीख पेश पर उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, तथा करापवंचना की दृष्टि से प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन नहीं करवाया गया। इस प्रकार सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी पर मांग राशि रूपये 8,14,174/– का आरोपण किया जाना उचित है। आगे उन्होने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बताकर सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 75(8) के तहत् कोई विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किया, एवं प्रकरण में उनकी सुनवाई के बिना ही कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया। उन्होंने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अधिकांश पर्चियों का सत्यापन लेखा पुस्तकों से करवा दिया था, परन्तु कुछ पर्चियों का सत्यापन इसलिए नहीं करवाया जा सका, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि सभी क्रय आदेशों के लिये माल की सप्लाई की जाये। आगे अपने कथन में उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया जाकर माल की भौतिक गणना कर लेखा पुस्तकों का भौतिक सत्यापन करने हेतु अधिनियम की धारा 25, 55, एवं 61 के तहत् नोटिस जारी किया गया, परन्तु अधिनियम की धारा 75(8) के तहत् कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का कोई भी मौका दिये बिना ही मांग राशि के आरोपण की कार्यवाही कर दी गई।

7. इस प्रकार सशक्त अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.05.2015 पारित करते समय प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया, जो कि न्यायहित में आवश्यक था। अतः यह पीठ अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17.11.2015 को अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी को आदेशित करती है, कि वह दिनांक **27.10.2017** को सशक्त अधिकारी के समक्ष मय लेखा पुस्तकों के सत्यापन हेतु उपस्थित हो, एवं साथ ही सशक्त अधिकारी को निर्देश दिये जाते है, कि वह प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें।

8. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर सशक्त अधिकारी को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने बाबत् प्रतिप्रेषित की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य